

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।


अपील संख्या-358 / 2008.....जिला.....जयपुर.....

उनवान-

मैसर्स विजयवर्गीय ब्रदर्स, जयपुर

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.02.2017	<p style="text-align: center;">एकलपीठ कैम्प जयपुर श्री खेमराज-अध्यक्ष</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा तथा उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपील को विद्झा करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील/358/08/जयपुर जरिये विद्झाल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय प्रसारित किया गया।</p> <div style="text-align: right;">  (खेमराज) अध्यक्ष </div>	